POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 21.05.2025

थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-78/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बधित वांछित अभियुक्त साहिल अली पुत्र शमशेर अली निवासी ग्राम नगईपुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज व हाल-पता लखन चौराहा नया चौराहा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.05.2025 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत सिकन्दरा स्थित ESSAR पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

साहिल अली पुत्र शमशेर अली निवासी ग्राम नगईपुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज व हाल-पता लखन चौराहा नया चौराहा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-78/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त साहिल अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 95/23 धारा 363/366 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-78/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रितेश दुबे, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 ओमप्रकाश मौर्या, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-219/2025धारा-191(2)/115(2)/109(1) /309(4)/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1. दिव्यांश त्रिपाठी उर्फ सूरज पुत्र नागेश त्रिपाठी नि0 ग्राम टेवां थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी 2. शिवम चतुर्वेदी पुत्र शिवशंकर चतुर्वेदी नि0 ग्राम अरछा बरैठी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट (हाल पता होटल देविता ताशकंद मार्ग थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज) को आज दिनांक-21.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस अड्डा के पीछे थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स से गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3(5) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी ।नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तों का विवरण-

1.दिव्यांश त्रिपाठी उर्फ सूरज पुत्र नागेश त्रिपाठी नि0 ग्राम टेवां थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र 25 वर्ष
2. शिवम चतुर्वेदी पुत्र शिवशंकर चतुर्वेदी नि0 ग्राम अरछा बरैठी थाना पहाड़ी चित्रकूट (हाल पता होटल देविता ताशकंद मार्ग थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज) उम्र लगभग 32 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-219/2025धारा-191(2)/115(2)/109(1)/309(4)/351(2)/351(3)/3(5)बी0एन0एस0 थाना सिविल लाइन्स कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 कृष्ण कुमार सरोज, थाना सिविल लाइन्स कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 कपिल द्विवेदी, थाना सिविल लाइन्स कमिश्नरेट प्रयागराज ।

3.का0 सन्दीप यादव, थाना सिविल लाइन्स कमिश्नरेट प्रयागराज।

गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्ता थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2025 धारा 105 बीएनएस में विवेचना के दौरान प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ता 1.आरती जायसवाल पत्नी धर्मेन्द्र 2.शिवांगी जायसवाल पुत्री प्रदीप जायसवाल निवासीगण महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-21.05.2025 को चौकी एग्रीकल्चर के पास रोड के किनारे थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक-15.05.2025 को वादी वीरेन्द्र कुमार जयसवाल पुत्र स्व0 बलवंत लाल जयसवाल निवासी महेवा पश्चिम पट्टी, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज की तहरीरी सूचना बावत डी0डी0एस0 कान्वेंट स्कूल महेवा गेट नियर पारस ग्रीन अपार्टमेंट नैनी प्रयागराज की दो अध्यापिका द्वारा वादी के पुत्र को मारना, जिससे वादी के पुत्र को गम्भीर चोट आना तथा अस्पताल में दिखाने के दौरान डॉक्टरो द्वारा मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध में थाना नैनी पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम डी0डी0एस0 कान्वेंट स्कूल की दो अध्यापिका नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में आज दिनांक-21.05.2025 को प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ता 1.आरती जायसवाल व 2. शिवांगी जायसवाल उपरोक्त को थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

1. अभियुक्ता आरती जायसवाल उपरोक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त के संबंध में पूछने पर बताया कि दिनांक-15.05.2025 को कक्षा 7 में पढ़ा रही थी कि तभी समय करीब 09.00 से 10.00 के बीच शिवांगी जायसवाल के द्वारा मुझे अपने क्लास रूम में बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि नर्सरी क्लास का छात्र शिवाय जायसवाल रो रहा है जिसके बगल में उसका भाई सुमित जायसवाल भी था। जिसे शिवांगी जायसवाल रोने के बावजूद भी गाल पर थप्पड़ से मार रही थी। जब मैं पहुँची तो शिवांगी जायसवाल द्वारा बताया गया कि यह बच्चा गाली दे रहा है, जिससे मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने भी दो चार थप्पड़ उसे मार दिया। इसी बीच उसके भाई ने हम लोगों को मारने के लिए रोका लेकिन शिवांगी और मैं उसकी बात न मानकर उसे एक दो थप्पड़ और मार दिये। 10 मिनट बाद बच्चा ब्रेन्च से रोते हुए गिर गया, इतने पर उसका भाई भी खूब रोने लगा। शिवाय जायसवाल रोते रोते पानी मांग रहा था, हम लोगों को लगा कि इसकी सांसे लम्बी लम्बी चलने लगी। तब हम लोगों ने मोबाइल फोन से उसके घरवालो को सूचना दिया गया।

2. अभियुक्ता शिवांगी जायसवाल उपरोक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त के संबंध में पूछने पर बताया कि दिनांक-15.05.2025 को मैं कक्षा 2 में पढ़ा रही थी, तभी नर्सरी क्लास का छात्र शिवाय जायसवाल मेरे क्लास में खेल रहा था और शोर कर रहा था जिसके बगल में उसका भाई सुमित जयसवाल भी था। मेरे द्वारा शोर करने से मना किया लेकिन शिवाय जायसवाल मुझे गली देने लगा। जिस पर मुझे गुस्सा आ गया इस पर मैंने शिवाय जायसवाल के गाल पर दो चार थप्पड़ मार दिये। कि तभी वो और जोरजोर से चिल्लाने लगा कि बगल की क्लास में मैडम आरती जायसवाल को भी मैंने बुलाया शिवाय आरती मैडम को भी गाली दे दिया। आरती मैडम को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने दो चार थप्पड़ गाल पर मार दिये जिससे वह रोने लगा। बगल में बैठा उसका भाई हम लोगों को मारने के लिए रोका लेकिन आरती और हम उसकी बात न मानकर उसे एक दो थप्पड़ और मार दिये। 10 मिनट बाद बच्चा ब्रेन्च से रोते हुए गिर गया, इतने पर उसका भाई भी खूब रोने लगा। शिवाय जयसवाल रोते रोते पानी मांग रहा था, हम लोगों को लगा कि इसकी सांसे लम्बी लम्बी चलने लगी। तब हम लोगों ने मोबाइल फोन से उसके घरवालो को सूचना दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण-

1. आरती जायसवाल पत्नी धर्मेन्द्र जायसवाल निवासिनी महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. शिवांगी जायसवाल पुत्री प्रदीप जायसवाल निवासीगण महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 228/2025 धारा 105 बीएनएस थाना नैनी प्रयागराज कमि0 प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
2. उ0नि0 सोहराब अहमद थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
3. उ0नि0 शिव जी गुप्ता थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
4. उ0नि0 उत्कर्ष सिंह थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
5. म0उ0नि0 ज्योति सचान थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
6. म0उ0नि0 नेहा चौधरी थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।